क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/5/21	पत्रावली [illegible] कार्य कन्टोनमेंट [illegible] दिनांक [illegible] पूर्वनियत पत्रावली दिनांक 8.7.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू
	8.7.2021	पत्रावली पेश [illegible] P.O. साहब/कार्य [illegible] कोरोना कर्फ्यू [illegible] दिनांक [illegible] पूर्वनियत पत्रावली दिनांक 26-8-2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू
	26/8/2021	पत्रावली पेश की P.O. साहब/कार्य कन्टोनमेंट [illegible] दिनांक [illegible] पूर्वनियत पत्रावली दिनांक 5.10.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू
	26.10.2021	पत्रावली आज राजस्व केम्प इकली का मार्फत पेश हुई। वादी कप वकील उपस्थित है व प्रतिवादी स्वयं उपस्थित एवं प्रतिवादी नं. 1 से 3 ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल किया गया। वादी व प्रतिवादिया कप वकील लोक अदालत ने मुकदमे आम में राजीनामा पेश किया गया जो वाद तरमीम शामिल पत्रावली किया गया। वादिया व प्रतिवादिया कप वकील ने बताया गया तो वादी व प्रतिवादिया के मुताबिक राजीनामा दावा स्वीकार किया जाना स्वीकार किया गया। दावा का अवलोकन किया गया। वाकयात भूमि मौजीलाल उर्फ मौरिया की खातेदारी में थी जिसकी वादी के पिता की मृत्यु होने पर जरिये विरासत मत्तक पुत्र उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी की मत्तक माता है जिसका उक्त भूमि में 1/2 एक हिस्सा है। मत्तक पिता मौरिया की मृत्यु होने पर विरासत का नामान्तरकरण वादी व प्रतिवादी सं. 01 के संयुक्त कप से बराबर-बराबर खोला जाना चाहिये। परन्तु संपहल से वाकयात समाजी दावा [illegible] प्रतिवादी संख्या 01 के नाम की खोल दिया गया।

फर्द अहकाम

न्यायालय _____

बनाम _____

मुकदमा संख्या /वर्ष : _____ /20 _____

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		जिसे प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जरिये राजीनामा द्वारा वाकयात भूमि में से 1/2 हिस्सा वादी के नाम लगाया जाना स्वीकार किया गया। वाकयात भूमि के बारे में मजमे आम में वादी व प्रतिवादी तो वादी रामराम व मौजीलाल उर्फ मौरिया का मत्तक पुत्र होना बताया गया व उसी के मुताबिक मौरिया द्वारा छोड़ी गयी वाकयात भूमि में 1/2 हिस्से का हकदार बताया गया जिसका वो काबिज काश्त है। दावा वादी व प्रतिवादी जरिये मजमे आम में प्रस्तुत राजीनामा व स्वयं प्रतिवादियों व मजमे आम में वादिया को मौरिया का मत्तक पुत्र होना जाहिर होने पर दावा डिक्री किया जाना उचित समझते है। दावा वादी व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर लोक अदालत की भावना से वाद गत भूमि खसरा नं. 48, एवं 49, किता 2 कुल रकबा 0.52 है० वाके ग्राम मानपुरा पटवार हल्का हिंगोलिया तहसील चाकसू में से वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वाकयात भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 राजस्व रिकार्ड में संयुक्त कप से हिस्सा बराबर-बराबर किया जाकर रिकार्ड दुरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय पालनार्थ तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली वादतजील दाखिल दफ्तर हो।

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Scanned with CamScanner